राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

पश्चिम ब्लॉक, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन नं. 0141–2740553, 2740440 फैक्सः– 0141–2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@gmail.com Website : www.rsldb.nic.in

क्रमांकः फा. 68/आवि./सौर ऊर्जा/2020–21/5115-79 दिनांक : 15/06/2020

सचिव,
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
समस्त

विषय : **सोलर पम्पसैट हेतु ऋण वितरण करने बाबत।**
प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र कमांक फा.58(1)आवि/इकाई लागत/2019–20/4292–338 दिनांक 08.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको नाबार्ड से अनुमोदित इकाई लागतें वर्ष 2020–21 प्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में सोलर पम्पसेट्स की प्रचुर मात्रा में मांग को ध्यान में रखते हुए लेख है कि सिंचाई प्रयोजन हेतु सोलर पम्पसेट हेतु नाबार्ड द्वारा अनुमोदित इकाई लागतों के आधार पर अधिक से अधिक ऋण वितरण किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किया जावे। ऋण वितरण हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. ऋण हेतु कृषक के पास स्वयं के स्वामित्व की सिंचित कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
2. कृषक की सिंचित कृषि भूमि ही प्रतिभूतिस्वरुप स्वीकार की जायेगी।
3. कृषक की ऋण क्षमता का निर्धारण फसलोत्पादन आय के आधार पर किया जायेगा। विकास कार्य के पूर्व एवं पश्चात् की आय के अन्तर की 75 प्रतिशत राशि कृषक की अधिकतम ऋण चुकौती क्षमता ऑकी जायेगी।
4. सोलर पम्प हेतु कृषक से 20 प्रतिशत कृषक अंशदान लिया जायेगा।
5. नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु अनुमोदित इकाई लागतें जो प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित आपको प्रेषित की गई {(पृष्ठ संख्या 13 पर बिन्दु सं. 2(ii)(a)} हैं, के अनुसार सोलर पम्प/सबमर्सिबल पम्पसेट हेतु ऋण वितरण किया जावे।
6. ऋण चुकौती अवधि बिना किसी अनुग्रह अवधि के 5 से 7 वर्ष होगी।
7. ऋणी कृषक से मूलधन की किश्त एवं ब्याज की मांग अर्द्धवार्षिक आधार पर 30 अप्रेल एवं 30 सितम्बर को देय होगी।
8. पम्पसेट का बीमा/नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसकी संयुक्त जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक एवं कृषक स्वयं की होगी।
9. सिंचाई प्रयोजन के लिए सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पम्पसेट सिस्टम नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार के मानदण्डों के अनुरुप ही होने चाहिये। इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), की वेबसाईट www.mnre.gov.in पर उपलब्ध हैं।
10. वर्तमान में नाबार्ड द्वारा सोलर पम्पसेट हेतु कोई अनुदान देय नहीं है।

भवदीय,

-Sd-

(जितेन्द्र प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अध्यक्ष/प्रशासक, सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, समस्त।
2. महा प्रबन्धक, बैंक/उप महाप्रबन्धक, लेखा एवं वित्त/निरी. एवं सुपर./वसूली, बैंक।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रा.रा.स.भू.वि.बैंक लि., क्षेत्रीय कार्यालय समस्त।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक को बैंक की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ, बैंक।

प्रबन्ध निदेशक